# छत्तीसगढ़ विधानसभा
# पत्रक भाग-एक
# संक्षिप्त कार्य विवरण
# गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2011
# (चैत्र-3, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 03 (कुल 2) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री चैतराम साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा खरसिया में आयोजित कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि बनाया जाकर अचानक कार्यक्रम निरस्त कर उन्हें अपमानित करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यदि किसी भी सदस्य से समय लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाय और समय लेने के बाद बिना उनकी जानकारी के तथा कोई कारण बताए बिना कार्यक्रम निरस्त करना ठीक नहीं है।

कृषि मंत्री द्वारा जवाबदेही निर्धारित कर जांच कराने तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने संबंधी आश्वासन दिया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा दोषी अधिकारी को निलंबित की जाने की मांग की गई।

## 2. बहिर्गमन

शासन से समुचित उत्तर न मिलने के विरोध में श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन किया गया।

## 3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अकबर, श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य को सभा में लेकर आये।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग का आग्रह किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.21 बजे स्थगित की जाकर 11.52 बजे समवेत हुई।)

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य तथा प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा विधायकों के सम्मान की रक्षा के लिए संबंधित दोनों अधिकारियों के निलंबन की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय श्री नंदकुमार पटेल के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया और मैनें उस समय आसंदी से ही एक व्यवस्था दी कि यह जो हुआ है, ठीक नहीं है। भविष्य में इस बात का मंत्री जी ध्यान रखें। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्रकरण की जांच कराई जाकर जो तथ्य आयेंगे तद्नुसार उस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से सहयोग करने एवं सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग का आग्रह किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित एवं 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

**(प्रश्नकाल समाप्त)**

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.00 बजे स्थगित की जाकर 12.16 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना हेतु श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य का नाम पुकारा गया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा जन प्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की सदन के नेता से मांग की तथा आसंदी से सदस्यों के सम्मान की रक्षा किए जाने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय नंदकुमार जी के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया और आसंदी से व्यवस्था भी दी कि कार्ड छपने के बाद जिस सदस्य को आमंत्रित किया गया है, उस सदस्य से पहले चर्चा कर लें कि आखिर उस कार्यक्रम को क्यों स्थगित किया जा रहा है? भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। कतिपय अवसरों पर ऐसा होता है, माननीय नंदकुमार पटेल जी का ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी का और मंत्रियों का भी कार्यक्रम किसी न किसी कारण से स्थगित करना पड़ता है और उसकी सूचना दी जाती है। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यदि किसी अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया है तो उस अधिकारी के खिलाफ जांच की जाएगी और जांच के पश्चात प्राप्त परिणाम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक आसंदी की बात है, लगातार प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा या सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा सदन में जब भी ऐसी कोई बात आई है, आसंदी का दायित्व भी है और हमेशा यह प्रयास भी हुआ है कि यदि किसी प्रकार का गतिरोध है तो उस गतिरोध को समाप्त किया जाना चाहिए और माननीय सदस्यों का सम्मान होना चाहिए।

अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण पर प्रतिपक्ष की ओर से यह बात आई तो जहां भी कार्यवाही होनी चाहिए, अधिकारी के उपर कार्यवाही की गई। आसंदी के द्वारा समय-समय पर सरकार को भी और मंत्रियों को भी जो निर्देश देना चाहिए, वह निर्देश देने का काम आसंदी द्वारा किया गया है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि मंत्री जी ने कहा है कि हम जांच करा लेंगे तो जांच में कोई दिक्कत नहीं है। जांच कराने के बाद जिस अधिकारी की गड़बड़ी पाई जाएगी या जिस अधिकारी ने जानबूझकर अपमानित करने का कृत्य किया है, मंत्री जी ने कहा है कि उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

उसके बाद भी लगता है कि आसंदी को निर्देशित करना चाहिए तो इस संदर्भ में मंत्री जी के जवाब और माननीय नेता प्रतिपक्ष की भावना और सभी की भावना को देखते हुए, यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो इस प्रकरण को समिति को सौंपने की घोषणा आसंदी से की जाएगी। यदि नहीं, तो माननीय मंत्री जी एवं नेता प्रतिपक्ष जी, सभी से आग्रह करूंगा कि आप सदन की कार्यवाही को आगे चलाने में सहयोग करें।

## 4. बहिष्कार

शासन की ओर से कोई उत्तर नहीं आने के विरोध में श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया ।

## 5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य (अनुपस्थित) सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) श्री दीपक कुमार पटेल (अनुपस्थित) सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

## 6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

| *अशासकीय संकल्प क्रं.* | *सदस्य का नाम* | *समय* |
|---|---|---|
| 1. (क्रमांक - 14) | श्री देवजी पटेल | 45 मिनट |
| 2. (क्रमांक - 40) | श्री ताम्रध्वज साहू | 45 मिनट |
| 3. (क्रमांक - 23) | श्री दीपक कुमार पटेल | 20 मिनट |
| 4. (क्रमांक - 24) | श्री राजकमल सिंघानिया | 20 मिनट |
| 5. (क्रमांक - 33) | श्री सौरभ सिंह | 20 मिनट |

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

## 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री नंदकुमार साहू

(2) श्री ब्रम्हानंद

## 8. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने पुनर्गृहित चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11 प्रस्तुत की।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

अनुदान मांग की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री देवजी पटेल,

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

डॉ.सुभाऊ कश्यप एवं श्री विरेन्द्र कुमार साहू।

श्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

अनुदान मांगों की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी,

**(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)**

डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री फूलचंद सिंह, जगेश्वर राम भगत,

## 9. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 24 मार्च, 2011 को रात्रि 8.30 बजे विधान सभा परिसर स्थित डॉ.श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

समस्त माननीय सदस्य एवं पत्रकार गण आमंत्रित हैं।

## 10. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सेवकराम नेताम, बैदूराम कश्यप, विरेन्द्र कुमार साहू,

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, रामजी भारती, श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, श्री संतोष बाफना, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, श्री खेदूराम साहू एवं श्री देवजी पटेल।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**सायं 5.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 25 मार्च, 2011 (चैत्र 4, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।**

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा